FORM NO. 03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

अनवान

पटवारी हल्का रायपुर बनाम **तहसीलदार रायपुर**

किस्म मुकदमा धारा 131 भू राजस्व अधिनियम **मु0न0** 53 **सन्** 2020

2020/00268

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
16.10.2020	राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के आदेश कमांक दिनांक 06.08.2020 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के पत्र कमांक :– एफ 12–12 (04) (रास्ता खोलो अभियान) राजस्व/2020/2095 दिनांक 06.08.2020 की पालना में माह अगस्त 2020 में पंचायत समिति स्तर प्रत्येक शुक्रवार को केम्प आयोजित कर राज्य सरकार आदेश दिनांक 10.08.2016 एवं जिला कार्यालय के पंत्राक दिनांक 30.07.2020 से रास्ते सम्बधित समस्याओं का निराकरण हेतु पालना की जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। पंचायत समिति स्तर पर आयोजित केम्प में तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सुरजपुरा की खातेदारी आराजी नम्बर 259 रकबा 2.63 है0 किस्म छापर मे से 0.22 भूमि ग्रेवल सड़क के उपयोग में आ रही है जिसे राजस्व रेकार्ड में किस्म छापर के बजाय किस्म गै. मु. ग्रेवल सड़क दर्ज करते हुए स्वामित्व बदस्तुर जमाबन्दी किया जाना है साथ में रिपोर्ट पटवारी भू.अ.नि. नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट पटवारी भू.अ. नि. एवं नकल जमाबन्दी नंक्शा ट्रेस अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया [illegible] खातेदारी आराजी नम्बर 259 रकबा 2.63 है0 मे [illegible] है0 किस्म छापर भूमि ग्रेवल सड़क के [illegible] आ रही [illegible] राजस्व रेकार्ड में किस्म छापर के [illegible] सड़क दर्ज करते [illegible] स्वामित्व बदस्तुर जमाबन्दी किया [illegible] उचित है।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.15 16:21:52 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
	मैंने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन किया तो पाया कि पटवारी, भू.अ.नि. एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रायपुर से सुरजपुरा जाने वाली ग्रेवल सड़क जो ग्राम सुरजपुरा की खातेदारी आराजी नम्बर 259 रकबा 2.63 है0 किस्म छापर मे से 0.22 है0 भूमि सार्वजनिक रूप से ग्रेवल सड़क के उपयोग में आ रही है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में पंचायत समिति रायपुर के नाम दर्ज होने से इस न्यायालय द्वारा खातेदार के प्रतिनिधी के रूप में विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर को सूचना पत्र इस आशय का जारी किया है कि उक्त आराजी में ग्राम रायपुर से सुरजपुरा जाने वाली ग्रेवल सड़क निकल रही है जिसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो अवगत करावे। सूचना पत्र की पालना में खातेदार की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। वैसे भी उक्त आराजी के स्वामित्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नही हो रहा है और मौके की जो स्थिति है उसी को रेकार्ड पर लिया जाना हैं ऐसी स्थिति में प्रस्तावित रकबे की किस्म को रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना उचित है। अतः राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांकः राजस्व/2020/37/20 दिनांक 01.10.2020 के अनुसार आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम सुरजपुरा की खातेदारी आराजी नम्बर 259 रकबा 2.63 है0 किस्म छापर मे से 0.22 है0 भूमि को राजस्व रेकार्ड में किस्म छापर के बजाय गै.मु. ग्रेवल सड़क दर्ज करते हुए स्वामित्व बदस्तुर जमाबन्दी रखा जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 16.X.2020 (सुन्दर लाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा मजिस्ट्रेट जिला–भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.15 16:21:52 IST
Reason: SelfAttested